रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102020-222585
CG-DL-E-20102020-222585

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2020/आश्विन 28, 1942
No. 529] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2020/ASVINA 28, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

सं. 37/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 651(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-कोरिया बृहद् आर्थिक सहभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 के नियम 9 के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित प्रकार और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

(I) सारणी में,-

(i) क्रम सं. 342क के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "पॉलीब्यूटाडाइन रबर, टाइटेनियम और लिथियम ग्रेड को छोड़कर", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 342 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"342ख	400220	क्रम संख्या 342क के समक्ष उल्लिखित से भिन्न वस्तुएं	0.00";

(II) दूसरे परंतुक में, खण्ड(ख) में, शब्द, अंक और अक्षर "संख्या 342 क", के स्थान पर पर शब्द, अंक और अक्षर "संख्या 342क और 342ख", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/53/2020-टीआरयू]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 13 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि. 444 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

No. 37/2020-Customs

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 9 of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009, namely:-

In the said notification, -

(I) In the Table,

(i) against serial number 342A, for the entry in column (3), the entries "Polybutadiene Rubber excluding titanium and lithium grades", shall be substituted;

(ii) after serial number 342A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"342B	400220	All goods other than those mentioned against serial number 342A	0.00";

(II) In the second proviso, in clause (b), for the word, figures and letter "number 342A", the word, figures and letter "numbers 342A and 342B", shall be substituted.

[F. No.354/53/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009 and was last amended vide notification No. 31/2020-Customs, dated the 13th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 444 (E), dated the 13th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.10.20 22:23:23 +05'30'